न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 72 6CMS:-2018/00236 दायर दिनांक : 22.05.2018

1. मु. छिन्दोबाई पत्नी स्व. बूटासिंह पुत्र बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. मायाबाई
3. गुरमेजसिंह
4. राजूसिंह

पुत्र/पुत्रीयान स्व. बूटासिंह पुत्र बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ. तहसील करणपुर, नाबालिगान जरिये वली माता मु. छिन्दो पत्नी स्व. बूटासिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बचनसिंह पुत्र दरियासिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ. डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. भागसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ. डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. मु. सीमा पत्नी गुरमीतसिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 15 ए. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. मु. प्रकाशकौर पत्नी छिन्दासिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 13 के.एन.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
5. उप—पंजीयक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1, 3 व 4 की ओर से
3. श्री सुखदर्शन सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 की ओर से
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 09.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण छिन्दोबाई वगैरह द्वारा

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

एक वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत कर, वाद के साथ यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक दरियासिंह पुत्र बधावासिंह के नाम से चक 39 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ नाम से भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2035 ता 44 के खाता संख्या 116 के अनुसार पत्थर नं. 59/263 के किला नं. 16, 20/2, 21 ता 25 व पत्थर नं. 59/264 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13 में कुल 3.871 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज थी। दरियासिंह की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसों के नाम दर्ज है व वर्तमान में बचनसिंह अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 39 एम.ओ.डी. के खाता सं. 73/99 के पत्थर नं. 59/263 के किला नं. 16, 24 ता 25 = 0.759 है0, व पत्थर नं. 59/264 के किला नं. 12/2 में 0.127 है0, 13/0.253 है0 = 0.380 है0, कुल 1.139 है0 नहरी भूमि दर्ज है जो कि पिता से प्राप्त होने से सहदायी सम्पत्ति है जिसके दो पुत्र व दो पुत्रियां एवं एक स्वयं बचनसिंह कुल 5 सदस्य सहदायी सदस्य हैं व प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के हिस्सेदार हैं। प्रार्थीगण बचनसिंह के पुत्र बूटासिंह के वारिस हैं, मौका पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण अन्यत्र भूमि विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए अप्रार्थीगण को वाद चलन के दौरान मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व जैरप्रकरण रकबा रहन–बैय द्वारा हस्तान्तरित नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 22.05.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक वाके चक 39 एम. ओ.डी. के खाता सं. 73/99 के पत्थर नं. 59/263 के किला नं. 16, 24, 25 में 0.759 है0 व पत्थर नं. 59/264 के किला नं. 12/2 में 0.127 है0, 13/0.253 है0, इस प्रकार कुल 1.139 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के 1/5 हिस्सा अर्थात 0.228 है0 हिस्सा तक की भूमि को रहन–बैय नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर जवाब प्राप्त कर स्थगन आदेश प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई की गयी। अप्रार्थी सं. 1 ने स्थगन प्रार्थना–पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसे वसीयत से प्राप्त हुई है जो उसके

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

नाम अंकित है व कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है व ना ही प्रार्थीगण उसके साथ निवास करते हैं। उनका परिवार सहदायी परिवार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं का कब्जा व हक अंकित करते हुए प्रार्थीगण के हकूक से इन्कार किया। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता व ना ही मौका पर विधि परक कब्जा है, मात्र अप्रार्थी सं. 1 को नुकसान पहुंचाने के लिए स्थगन की मांग की जा रही है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने का निवेदन किया। इसी प्रकार अप्रार्थीगण सं. 2, 3, व 4 ने भी अप्रार्थी सं. 1 के कथनों का समर्थन किया।

बाद आने जवाब प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. प्रार्थना–पत्र के तथ्यों पर तर्क पक्षकारान सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बचनसिंह के नाम की चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नं. 59/263 में 0.759 है0, व पत्थर नं. 59/264 में 0.380 है0, कुल 1.139 है0 नहरी भूमि पैतृक दरियासिंह से विरासतन प्राप्त होना बताते हुए प्रार्थीगण का बतौर सहदायी सदस्य उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा होना बताया एवं पूर्व में पारित स्थगन के तथ्यों को दोहराते हुए उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का भय बताकर स्थगन दिनांक 22.05.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व जैरप्रकरण चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नं. 59/263 में 0.759 है0, व पत्थर नं. 59/264 में 0.380 है0, कुल 1.139 है0 नहरी भूमि वसीयत से प्राप्त हुई होने का तर्क देकर, उसे अप्रार्थी सं. 1 बचनसिंह की स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ति बताते हुए, अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन का प्रावधान ना होने का तर्क दिया। साथ ही निवेदन किया कि स्थगन के माध्यम से प्रार्थीगण वाद निर्णय से पूर्व ही फल पाना चाहते हैं जो कि न्याय की मंशा नहीं है। भूमि पैतृक साबित नहीं है। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनना बताते हुए प्रार्थना–पत्र स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित राजस्व मण्डल आर.बी.जे. 2006 पेज सं. 21, व आर.बी. जे. 2016 पेज सं. 245 प्रस्तुत किये व अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन प्रदान न करने का राजस्व मण्डल का निर्देश बताया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक पठन व मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि चक 39 एम.ओ.डी. के पत्थर नं. 59/263 के किला नं. 16, 24–25 = 0.759 है0, व पत्थर नं. 59/264 के किला नं. 12/2 में 0.127 है0, 13/0.253 है0 = 0.380 है0, कुल 1.139 है0 नहरी भूमि बचनसिंह को दरियासिंह द्वारा वसीयत कर प्रदान की गई है जिसका वह अंकित काश्तकार है। इस अवस्था में प्राथमिक रूप से यह सम्पत्ति सहदायी नहीं मानी जा सकती। पिता द्वारा वसीयत कर दी गयी सम्पत्ति सहदायी माने जाने का प्रावधान विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण नहीं बता सके। प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना नहीं पाया जाता। अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन ना देने का निर्देश माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के न्याय निर्णयों में भी है। इसके अतिरिक्त इस मामले में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2016 पेज सं. 245 पूर्ण रूप से प्रभावी प्रतीत होता है। इसमें राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के अभाव में प्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना गया। उक्त न्याय निर्णय के पैरा सं. 7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ''नामान्तरकरण के अभाव में क्रेताओं का विवादित आराजी पर कब्जा साबित नहीं होता है।'' साथ ही इसी पैरा में अंकित खातेदार के विरुद्ध स्थगन प्रदान न करने का निर्देश भी है। प्रार्थीगण ना तो अपना कब्जा स्पष्ट कर पाये व ना ही अधिकार। स्थगन के किसी भी आवश्यक तत्व की पूर्ति वर्तमान प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। वसीयत के भूमि बचनसिंह को प्राप्त हुई, इसे भी प्रार्थीगण छुपाकर भूमि पैतृक सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से प्रार्थीगण का मामला बनना भी प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला ना बनने व अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन का दिया जाना उचित ना होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दिनांक 22.05.2018 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 निरस्त कर, पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 22.05.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)